समाहरणालय सहरसा
(जिला राजस्व शाखा)

–: प्रेस विज्ञप्ति :–

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नांकित योजनाओं के लिए लीज नीति के तहत सरकार द्वारा रैयती भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता है :–

क्र0	योजना का नाम	सम्बद्ध अंचल का नाम	भूमि की आवश्यकता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
01	प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय, बनमा ईटहरी का भवन निर्माण	बनमा ईटहरी	5.00 (पाँच) एकड़	
02	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिमरी बख्तियारपुर	सिमरी बख्तियारपुर	3.00 (तीन) एकड़	
03	जलई ओ0 पी0	महिषी	50.00 (पचास) डीसमल	
04	काशनगर ओ0 पी0	सोनवर्षा	1.00 (एक) एकड़	
05	बैजनाथपुर ओ0 पी0	सौरबाजार	1.00 (एक) एकड़	

उपर्युक्त योजनाओं के लिए लीज नीति के तहत भू–स्वामी अपनी स्वेच्छा से भूमि देने हेतु अपना आवेदन पत्र जिला राजस्व शाखा, सहरसा कार्यालय में दे सकते हैं। भूमि उपयुक्त पाये जाने पर और योजना हेतु चयन किये जाने पर नियमानुसार भू–दाता को अधिग्रहीत की जानेवाली भूमि की मुआवजा की राशि भुगतान की जाएगी। भू–दाता की जमीन विवाद रहित एवं आम आदमी के आवागमन हेतु सड़क के किनारे अवस्थित होना चाहिए। इच्छुक भूधारी को अपना आवेदन विज्ञापन प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर देना होगा।

ह0/–
समाहर्त्ता,
सहरसा

ज्ञापांक 99–2/रा0, सहरसा, दिनांक 21.02 2017

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है इसे जिला के वेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि प्रेस कतरण की प्रति जिला राजस्व शाखा, सहरसा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस प्रेस विज्ञप्ति को तीन प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा करेंगे।

इस हेतु सी0डी0 एवं प्रेस विज्ञप्ति की अतिरिक्त छः प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

21.2.17

समाहर्त्ता,
सहरसा